दिनांक-29जनवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

प्रतिबंधित प्लास्टिक का व्यवसाय करने वालों पर उड़नदस्ता ने लगाया 12,000 जुर्माना, 80 पैकेट से अधिक डिस्पोजल गिलास जप्त

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने लक्ष्मी मार्केट , नेहरू नगर, जीई रोड, खुर्सीपार, गोकूल नगर, एसीसी चैक व नंदनी रोड सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक, डिस्पोजल गिलास, पानी पाउच तथा सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 21,500 रूपए का अर्थदण्ड की वसूली की। उड़नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर बाजार क्षेत्र में गंदगी फैलाने वाले से 2000 रूपए जुर्माना लेते हुए स्वच्छता बनाए रखने की समझाएं दी। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने लक्ष्मी मार्केट, नेहरू नगर, जीई रोड, खुर्सीपार, गोकूल नगर, एसीसी चौक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के किराना दुकान , बाजार, होटल, नास्ता सेंटर में पानी पाउच व डिस्पोजल गिलास का विक्रय करने करने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। वार्ड 26 में सड़क बाधा करने वाले धर्मेन्द्र साव से अर्थदंड लिया गया। निगम की उड़नदस्ता टीम ने शिव प्रसाद केशरवानी , लक्ष्मी मार्केट से 60 पैकेट डिस्पोजल गिलास जप्त करते हुए 5000 हजार रूपए जुर्माना, शंकर डिस्पोजल दुकान से 70 पैकेट प्लास्टिक कटोरी जप्त करते हुए 2000 रूपए जुर्माना , महादेव किराना दुकान कैलाशनगर के द्वारा गंदगी फैलाने पर 2000 रूपए जुर्माना ,

जनसम्पर्क अधिकारी